

FORM-C
[See Rule 12 (2)]

विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस/चारटर्ड विद्युत सुरक्षा अभियन्ता का अनुज्ञा पत्र /विद्युत पर्यवेक्षक का कार्य करने की सक्षमता का प्रमाण पत्र/विद्युत पर्यवेक्षक का कार्य करने का अनुज्ञा पत्र/ तार मिस्त्री (वायरमेन) का कार्य करने की सक्षमता का प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री का कार्य करने का अनुज्ञा पत्र की डुप्लिकेट प्रति जारी करने हेतु आवेदन पत्र (जो लागू न हो उसे काट दे)

लाईसेंस/प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र संख्या दिनांक

मैं

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

निवासी

एतद् द्वारा निवेदन करता/करती हूँ कि मेरा/हमारा उक्त लाईसेंस/प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र खो/फट गया/खराब हो गया/चुरा लिया गया है, अतः कृपया डुप्लिकेट जारी करने का श्रम करें। खो जाने/चुरा लेने की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तथा कटा-फटा खराब लाईसेंस/प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र संलग्न है।

तीन रंगीन, पासपोर्ट साईज के फोटो (एक आवेदन पर प्रमाणित), शूल्क राशि रूपयेजरिये डी.डी. नं० दिनांक (वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, जयपुर के नाम देय) तथा आवेदक के पहचान पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर प्रमाणित
(राजपत्रित अधिकारी का नाम व सील सहित)

नोट :- नियमों को देखने के लिये वेबसाईट energy.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।